



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन प्रभाग)

पशुपालकों के पशुओं के अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम 2018

राज्य में पहली बार प्रत्येक गाँव में पशुपालकों के पशुओं हेतु अंतःकृमिनाशक दवा का मुफ्त वितरण अभियान

10 अप्रैल, 2018 से 24 अप्रैल 2018 तक

- ❖ टीकाकर्मी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार प्रत्येक गाँव में पशुपालकों के बड़े एवं छोटे योग्य पशुओं हेतु अंतःकृमिनाशक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
- ❖ एफ0एम0डी0 टीकाकृत पशु को 15 दिन बाद अंतःकृमिनाशक दवा खिलाया जाय।
- ❖ अंतःकृमिनाशक दवा वितरण कार्य संबंधित जनप्रतिनिधि (जिला परिषद् सदस्य, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य आदि) की देखरेख में किया जाएगा। किसी भी योग्य बड़े एवं छोटे पशु हेतु अंतःकृमिनाशक दवा का वितरण नहीं होने अथवा वितरण के दौरान राशि की मांग करने की शिकायत पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के दूरभाष सं0 0612-2230942 पर की जा सकती है।
- ❖ माननीय सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों से अंतःकृमिनाशक दवा वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आग्रह है।



कार्यक्रम की विशेष जानकारी निकटवर्ती पशु चिकित्सालय/संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय अथवा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (दूरभाष सं0 0612-2226049) से प्राप्त की जा सकती है।

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा जनहित में प्रचारित